भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय /MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)
New Delhi

No: 88/RS(G)/779/14 Pt. **Dated: 18.10.2017**

The General Manager, All Indian Railways/PUs, NF(C), CORE
The DG/RDSO/Lucknow & NAIR/Vadodara
CAOs, DMW/Patiala, WPO/Patna, COFMOW/N. Delhi, RWP/Bela
CMD/MDs, All Railway PSUs

Sub. : Delegation of Purchase Power to Division/ Sheds/ Workshops for **Safety items in Emergency.**
Ref. : Railway Board's letter No. 88/RS(G)/779/14 Pt. Dated: 06.01.2017

Purchase Powers to Depot/Divisional officers were recently delegated vide Railway Board's letter under reference.

In the wake of recent incidences, availability of Safety items has drawn much attention of all concerned. During GM's conference held on 16/09/2017, GM/ER, SER & ECoR proposed for enhanced delegation for procurement of safety items at field level.

Therefore, in partial modification to Para 9 (a) of Board's letter referred above, Railway Board has decided to enhance powers to Stores Depot officers for all safety items (stock items) as under:

Existing	**New**
Item 9(a): For stock items urgently required.	**Item 9(aa): For stock safety items urgently required in Depot.**
Sr. DMM/ Dy.CMM (Depot) Upto Rs. 5 lakh per case	Dy.CMM (Depot): Upto Rs. 45 Lakhs per case.
DMM/SMM (Depot) independent incharge: Upto Rs. 5 lakh per case	
DMM/ SMM (Depot) other than independent incharge: Upto Rs. 2 lakh per case	SMM (Depot) Upto Rs. 8 Lakhs per case
Assistant DMM/ AMM (Depot) independent incharge: Upto Rs. 2 lakh per case	AMM (Depot)
Assistant DMM/ AMM (Depot) other than independent incharge: Upto Rs. 1.5 lakh per case.	Upto Rs. 3 Lakhs per case

Santosh Mittal

Existing	New
tem 9(a): For stock items urgently required.	**Item 9(ab):** **i. Depot: For stock, other than safety item, urgently required.** **ii. Division: For stock items urgently required.**
Sr. DMM/ Dy.CMM (Depot) Upto Rs. 5 lakh per case	Sr. DMM/ Dy.CMM (Depot) Upto Rs. 5 lakh per case
DMM/SMM (Depot) independent incharge: Upto Rs. 5 lakh per case	DMM/SMM (Depot) independent incharge: Upto Rs. 5 lakh per case
DMM/ SMM (Depot) other than independent incharge: Upto Rs. 2 lakh per case	DMM/ SMM (Depot) other than independent incharge: Upto Rs. 2 lakh per case
Assistant DMM/ AMM (Depot) independent incharge: Upto Rs. 2 lakh per case	Assistant DMM/ AMM (Depot) independent incharge: Upto Rs. 2 lakh per case
Assistant DMM/ AMM (Depot) other than independent incharge: Upto Rs. 1.5 lakh per case	Assistant DMM/ AMM (Depot) other than independent incharge: Upto Rs. 1.5 lakh per case

The existing item 9(a) shall be replaced by the new items, 9 (aa) and 9(ab), as detailed above. Other delegations in the referred letter shall not change.

This is issued with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

Santosh Mittal

(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

No: 88/RS(G)/779/14 Pt. **New Delhi, dated 18.10.2017**

1. PFAs, All Indian Railways & Production Units
2. The ADAI(Railways), New Delhi
3. The Directors of Audit, All Indian Railways

for Financial Commissioner / Railways

No: 88/RS(G)/779/14 Pt. **New Delhi, dated 18.10.2017**

1. PCMMs, PCEs, CMEs, CEEs, CSTEs, All Indian Railways & PUs, RCF/RBL/NDLS, COFMOW, CORE, WPO and RWP/Bela
2. The Directors–
 a. Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad
 b. Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur
 c. Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik
 d. Sr. Prof. (Material Management), NAIR, Vadodara
 e. Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune
 f. Indian Railway Institute of Traffic Management, Lucknow

3. MD, CRIS, Chanakya Puri, New Delhi
4. MD, RITES, RITES Bhavan, Sector-29, Gurugram
5. Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street, Kolkata
6. Executive Director (Stores), RDSO, Lucknow
7. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow
8. Zonal Railway Training Institute, Sukadia Circle, Udaipur

Santosh Mittal

(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

No: 88/RS(G)/779/14 Pt. **New Delhi, dated 18.10.2017**

Copy to :

1. The Genl. Secy., AIRF, Room No. 248, & NFIR Room No. 256-C, Rail Bhavan
2. The Secy. Genl., IRPOF, Room No. 268, FROA, Room No. 256-D & AIRPFA, Room No. 256-D Rail Bhavan

Santosh Mittal

(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

Copy to:- Sr. PPSs / PPS / PS to :

1. MR, MoS(S), MoS(G)
2. CRB, FC, ME, MTR, MRS, MS, MT, SECY., DG(RS), DG(S&T), DG(Personnel), DG (RHS), DG (RPF)
3. All AMs, PEDs & Executive Directors of Railway Board

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD

सं. 88/आरएस(जी)/779/14 पार्ट **नई दिल्ली, दिनांक: 18.10.2017**

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें/ उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण), कोर
महानिदेशक/ अ.अ.मा.सं. लखनऊ एवं एनएआईआर/वडोदरा
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, डीएमडब्ल्यू/पटियाला, डब्ल्यूपीओ/पटना, कॉफमो/नई दिल्ली, आरडब्ल्यूपी/बेला
मुख्य प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक, रेलवे के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

विषय: आपातकाल में संरक्षा मदों के लिए मंडल/शेडों/वर्कशापों को खरीद करने की शक्ति सौंपना।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 06.01.2017 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14 पार्ट

रेलवे बोर्ड के संदर्भाधीन पत्र के तहत हाल ही में डिपो/मंडल अधिकारियों को खरीद करने की शक्तियां सौंपी गई थीं।

हाल की घटनाओं के परिणामस्वरूप, संरक्षा मदों की उपलब्धता की ओर सभी संबधितों का ध्यान आकर्षित हुआ है। 16/09/2017 को आयोजित महाप्रबंधकों के सम्मेलन के दौरान महाप्रबंधक/पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे एवं पूर्व तट रेलवे ने फील्ड स्तर पर संरक्षा मदों की खरीद के लिए सौंपी गई शक्तियों को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।

अत:, बोर्ड के उपर्युक्त संदर्भित पत्र के पैरा 9 (क) में आंशिक आशोधन करते हुए, रेलवे बोर्ड ने सभी संरक्षा मदों (स्टॉक मदों) के लिए भंडार डिपो अधिकारियों की निम्नानुसार शक्तियां बढ़ाने का विनिश्चय किया है:-

मौजूदा	**नई**
मद 9(क): तत्काल अपेक्षित स्टॉक मदों के लिए	**मद 9(कक): डिपो में तत्काल अपेक्षित संरक्षा मदों के स्टॉक के लिए**
सीनियर डीएमएम/डिप्टी. सीएमएम (डिपो) प्रति मामला 5 लाख रुपए तक	डिप्टी सीएमएम (डिपो): प्रति मामला 45 लाख रुपए तक
डीएमएम/एसएमएम (डिपो) स्वतंत्र प्रभार: प्रति मामला 5 लाख रुपए तक	
डीएमएम/एसएमएम (डिपो) स्वतंत्र प्रभार से इतर: प्रति मामला 2 लाख रुपए तक	एसएमएम (डिपो) प्रति मामला 8 लाख रुपए तक
सहायक डीएमएम/एएमएम (डिपो) स्वतंत्र प्रभार: प्रति मामला 2 लाख रुपए तक	एएमएम (डिपो) प्रति मामला 3 लाख रुपए तक
सहायक डीएमएम/एएमएम (डिपो) स्वतंत्र प्रभार से इतर: प्रति मामला 1.5 लाख रुपए तक	

संतोष मित्तल

मौजूदा	नई
मद 9(क): तत्काल अपेक्षित स्टॉक मदों के लिए	**मद 9(कख):** **I डिपो: संरक्षा मदों से इतर तत्काल अपेक्षित स्टॉक के लिए** **II मंडल: तत्काल अपेक्षित स्टॉक मदों के लिए**
सीनियर डीएमएम/डिप्टी सीएमएम (डिपो) प्रति मामला 5 लाख रुपए तक	सीनियर डीएमएम/डिप्टी सीएमएम (डिपो) प्रति मामला 5 लाख रुपए तक
डीएमएम/एसएमएम (डिपो) स्वतंत्र प्रभार: प्रति मामला 5 लाख रुपए तक	डीएमएम/एसएमएम (डिपो) स्वतंत्र प्रभार: प्रति मामला 5 लाख रुपए तक
डीएमएम/एसएमएम (डिपो) स्वतंत्र प्रभार से इतर: प्रति मामला 2 लाख रुपए तक	डीएमएम/एसएमएम (डिपो) स्वतंत्र प्रभार को छोड़कर: प्रति मामला 2 लाख रुपए तक
सहायक डीएमएम/एएमएम (डिपो) स्वतंत्र प्रभार: प्रति मामला 2 लाख रुपए तक	सहायक डीएमएम/एएमएम (डिपो) स्वतंत्र प्रभार: प्रति मामला 2 लाख रुपए तक
सहायक डीएमएम/एएमएम (डिपो) स्वतंत्र प्रभार से इतर: प्रति मामला 1.5 लाख रुपए तक	सहायक डीएमएम/एएमएम (डिपो) स्वतंत्र प्रभार से इतर: प्रति मामला 1.5 लाख रुपए तक

मौजूदा मद 9(क) के स्थान पर उपर्युक्त ब्यौरे के अनुसार नई मदों 9(कक) और 9(कख) को रखा जाएगा। संदर्भित पत्र में अन्य शक्तियाँ अपरिवर्तित रहेंगी।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

संतोष मित्तल

(संतोष मित्तल)
उप निदेशक रेल भंडार (जी)-I
रेलवे बोर्ड

सं. 88/आरएस(जी)/779/14 पार्ट **नई दिल्ली, दिनांक: 18.10.2017**

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
2. एडीएआई (रेलें), नई दिल्ली
3. निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. 88/आरएस(जी)/779/14 पार्ट **नई दिल्ली, दिनांक: 18.10.2017**

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. पीसीएमएम, पीसीई, सीएमई, सीईई, सीएसटीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, आरसीएफ/रायबरेली/नई दिल्ली, कॉफमो, कोर, डब्ल्यूपीओ एवं आरडब्ल्यूपी/बेला।
2. निदेशक –

क) भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिंकदराबाद।
ख) भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिज़ली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर।
ग) भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक
घ) वरिष्ठ प्रोफेसर (सामग्री प्रबंधन), भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा।
ङ) भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे।
च) भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान, लखनऊ।

3. प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
4. प्रबंध निदेशक, राइट्स, राइट्स भवन, सेक्टर-29, गुरुग्राम
5. निदेशक, लौह एवं इस्पात, 3, कोयला घाट स्ट्रीट, कोलकाता।
6. कार्यपालक निदेशक (भंडार), अ.अ.मा.सं., लखनऊ।
7. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
8. क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, सुकाड़िया सर्कल, उदयपुर।

संतोष मित्तल
(संतोष मित्तल)
उप निदेशक रेल भंडार (जी)-।
रेलवे बोर्ड

सं. 88/आरएस(जी)/779/14 पार्ट **नई दिल्ली, दिनांक: 18.10.2017**

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 248 एवं एनएफआईआर, कमरा नं. 256-सी, रेल भवन।
2. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा नं. 268, फ्रोआ, कमरा नं. 256-डी एवं एआईआरपीएफए, कमरा नं. 256 डी, रेल भवन, नई दिल्ली।

संतोष मित्तल
(संतोष मित्तल)
उप निदेशक रेल भंडार (जी)-।
रेलवे बोर्ड